## झारखण्ड सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

5722
05/09/17

### संकल्प

**विषय– विश्व बैंक संपोषित नमामि गंगे योजना अंतर्गत रु० 5058.85 लाख (पचास करोड़ अन्ठावन लाख पचासी हजार) की लागत पर Municipal Waste Water परियोजना, राजमहल की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। गंगा नदी प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से तथा गंगा के तट पर अवस्थित शहरी स्थानीय निकायों में रहने वाले नागरिकों को सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राज्य के साहेबगंज एवं राजमहल निकायों में विश्व बैंक वित्त संपोषित कई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है।

2. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा 'नमामि गंगे' योजनान्तर्गत गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाना है।

3. दिनांक–02.03.2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी०), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'नमामि गंगे' योजना के 1st Executive Committee Meeting (EC) की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उनके पत्रांक–No.EDA/2016-17/17/NMCG-EC Meeting, दिनांक–09.03.2017 द्वारा Rajmahal Municipal Waste Water योजना हेतु 34.21 कि०मी० Sewerage Network, 03 Intermediate Sewage Pumping Stations, 01 Main Pumping Station एवं 01 STP (Sewerage Treatment Plant) 3.5 MLD (Million Litre per day) तथा राजमहल नगर पंचायत के अंतर्गत 5,016 घरों के Sewerage Connection, 09 LCS (Low Cost Sanitation) unit का Restoration, Renovation एवं 20 seater वाले 05 LCS Unit के निर्माण हेतु कुल लागत रु० 58.36 करोड़ पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें प्रथम 10 वर्षों का O&M का व्यय भी शामिल है। परियोजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि भूमि अधिग्रहण में होने वाले शत प्रतिशत राशि का व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कुल स्वीकृत राशि में भूमि अधिग्रहण हेतु रु० 8.13 करोड़ भी शामिल है, जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा एवं परियोजना की शेष राशि रु० 50.23 करोड़ का वहन नमामि गंगे योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया जायेगा, जिस पर तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी०), नई दिल्ली के पत्रांक–No.T-14/2015-16/964/NMCG दि0–30.03.2017 के अनुसार Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) मद में स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नलिखित है–

| S.No. | Component | Cost (Rs. Lakh) |
|---|---|---|
| A | **Sewerage Works** | |
| 1 | Sewerage network | 2051.95 |
| 2 | Intermediate Sewage Pumping Stations (IPS) (3 no.) | 144.36 |
| 3 | Main Pumping Stations (MPS) | 98.89 |
| 4 | Rising Main | 32.58 |

| S.No. | Component | Cost (Rs. Lakh) |
|---|---|---|
| 5 | Sewage Treatment Plants (STP) with Tertiary treatment | 420.00 |
| 6 | STP Land development, Retaining wall and Boundary wall | 37.17 |
| 7 | Effluent Channel | 85.36 |
| 8 | Reuse Components | 115.69 |
| 9 | Survey & Levelling | 15.85 |
| 10 | Sewerage House Connections | 223.17 |
| 11 | Lining of Existing Drains | 3.24 |
| 12 | Low Cost Sanitation Units (5 Nos. 20 Seaters) | 77.85 |
| 13 | Renovation of Existing LCS Units (9 Nos. units) | 28.15 |
| 14 | Cost of trial-run for STP, MPS, IPS & Sewer for 3 months | 12.25 |
| | **Sub total** | **3346.51** |
| 15 | Add contingencies charges 1% | 33.47 |
| | **Sub total** | **3379.98** |
| 16 | Labour cess @ 1% | 33.80 |
| | **Sub Total A** | **3413.78** |
| B | **Charges as per NGRBA Framework** | |
| 1 | Project Preparation @ 4% | 136.55 |
| 2 | Supervision of Project @ 4% | 136.55 |
| | **Sub Total B** | **273.10** |
| C | **Cost of Work on which no charges will admissible** | |
| 1 | Communication and Public Outreach | 25.00 |
| 2 | ESAMP Implementation Cost During Construction Phase | 18.39 |
| 3 | Governance and Accountability Action Plan (GAAP) | 6.00 |
| 4 | Sewer Cleaning Equipment | 63.00 |
| | **Sub Total C** | **112.39** |
| D | **Operation & Maintenance for 10 years** | |
| 1 | Sewers, Rising Mains, IPS, MPS | 660.09 |
| 2 | Sewage Treatment Plant | 538.62 |
| 3 | Environmental Monitoring Cost During Operation Phase | 25.37 |
| | **Sub Total D** | **1224.08** |
| | **Grand Total (A+B+C+D) (Rs. in Lakh)** | **5023.35** |

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल भूमि 2.21 एकड के लिए अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें से 1.52 एकड़ भूमि का क्रय करने हेतु रु० 35.50 लाख व्यय किया जा चुका है। शेष 0.695 एकड़ सरकारी भूमि राज्य सरकार की है।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– No.T-14/2015-16/964/NMCG, दि0–30.03.2017 द्वारा कुल 50.23 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) के अनुसार परियोजना के लिये भूमि उपलब्ध करना तथा भूमि अधिग्रहण सम्बंधित राशि का खर्च का शत प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करने का भी शर्त्त निहित है। राज्यांश का अनुदान भूमि अधिग्रहण के लिये कुल रूपये 35,50,288 (पैंतीस लाख पचास हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) है।

उल्लेखनीय है कि कुल रु० 35,50,288/– (पैंतीस लाख पचास हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण सहायता अनुदान से उपलब्ध कराया जा चुका है।

अतः केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुदान निम्न प्रकार है–

| Sl. | Fund details | Total Project Cost (Rs. in lakh) |
|---|---|---|
| i. | Government of India (Project cost with 10 years O&M) | 5023.35 |
| ii. | State Government of Jharkhand ( Land cost) | 35.50 |
| | **Grand Total** | **5058.85** |

5. उक्त परियोजना हेतु कुल रु० 5058.85 लाख (पचास करोड़ अन्ठावन लाख पचासी हजार) स्वीकृत राशि में से निविदा हेतु आमंत्रित की जानेवाली अवयवों का कुल राशि रु० 45.78 करोड़ है। साथ ही रु० 4.45 करोड़ की राशि परियोजना के अन्य अवयवों के व्यय के लिए प्रावधानित है। निविदा आमंत्रण अवयवों की विवरणी निम्न प्रकार है–

5722 05/09/17

A. **Sewerage work in Zone 1, 2 & 3**

| | | Cost (Rs. Lakh) |
|---|---|---|
| 1. Sewerage works | - | Rs. 3346.51/- |
| 2. Labour cess @ 1% | - | Rs. 33.46 /- |
| 3. Operation & Maintenance of STP and Sewerage system for 10 yrs. | - | Rs. 1198.71/- |
| **Total** | - | Rs. **4578.68/-** |

निविदा में किसी कारणवश अधिक राशि व्यय होने के संभावना के स्थिति में स्वीकृत निविदा राशि रु० 4578.68 लाख (पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख अड़सठ हजार) के अधिकतम 10% वृद्धि पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी०), नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निविदा का आवंटन किया जा सकेगा।

परियोजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रांश राशि रु० 5023.35 लाख (पचास करोड़ तेईस लाख पैंतीस हजार) तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, परियोजना हेतु खोले गये बैंक खाता में ही संधारित की जाएगी। केन्द्रांश की राशि एस०पी०एम०जी०, झारखण्ड द्वारा Electronic Transfer के द्वारा परियोजना के लिए खोले गये बैंक खाता में ही की जाएगी। साथ ही इसी बैंक खाते में राज्यांश को भी संधारित किया जाएगा। परियोजना के लिए खोले गये बैंक खाता (Mother Account) से ही परियोजना के लिए नियुक्त Executing Agency के Zero Balance Child Account में Electronic Transfer के द्वारा संवेदक तथा अन्य कार्यों हेतु भुगतान किया जाएगा।

6. उपरोक्त वर्णित प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29.08.2017 को सम्पन्न बैठक में, मद संख्या–9 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

**आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।**

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,**

4.9.17

**(अरुण कुमार सिंह)**
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–SPMG/UD&HD/Rajmahal/MWW/05/2017 5722 राँची/दिनांक–05/09/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।

(9)

ज्ञापांक– SPMG/UD&HD/Rajmahal/MWW/05/2017 5722, राँची / दिनांक– 05/09/17

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड सरकार / परियोजना निदेशक, एस0पी0एम0जी0 / निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव / परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि०, राँची / प्रमंडलीय आंयुक्त, दुमका / उपायुक्त, साहेबगंज / कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद / कार्यपालक पदाधिकारी, राजमहल नगर पंचायत / सभी संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।